गाय : एक समग्र चिन्तन

●

—व्याख्याता—

अनन्तश्री-विभूषित

स्वामी करपात्री जी महाराज

समस्तिनिर्मदातेजाः परब्रह्म सनातनः।
जयताज्ज्ञानानन्दनाथो [illegible] महामतिः॥

—संकलनकर्ता—

प्रो॰ बिहारीलाल टाटिया

एम॰ ए॰, श्री गङ्गानगर, राजस्थान

●

—प्रकाशक—

सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति, दिल्ली

Scanned by CamScanner

સમસ્તનિગમદજ્ઞેજાઃ પરબ્રહ્મ સનાતનઃ।
જયતાજ્જ્ઞાનકોનાથો વેદવેદ્યો મહામતિઃ॥

दो शब्द

भारतीय जनमत कितने व्यापक परिमाण में कितनी शीघ्रता से सम्पूर्ण गोवंश की हत्या का महाकलङ्क इस भारतभूमि से मिटाने को उतावला हो रहा है, इसका स्पष्ट प्रमाण गोरक्षा-महाभियान ही है, जो कोटि-कोटि भारतीयों के मन-प्राणों का सम्बल पाकर नित-नये उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है।

इस प्रश्न पर आयें दिन विरोधियों, आपातदर्शियों और जिज्ञासुओं की ओर से जो तरह-तरह की दलीलें दी जाती और शंकाएँ की जाती हैं, उनमें से प्रमुख बातों का पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज ने समय-समय पर युक्तियुक्त और साधार समाधान प्रस्तुत किया है, जिसे संकलित करने का श्रेय प्रो० बिहारीलाल टांटिया, श्री गङ्गानगर, राजस्थान निवासी को है।

इस संक्षिप्त, किन्तु विचारपूर्ण पुस्तिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष आनन्द हो रहा है। हमारा अनुरोध है कि आप पुस्तक को पढ़ें, अपने मित्रवर्ग में अधिक से अधिक लोगों को पढ़ायें, इसमें निहित विचारों का गम्भीरता से विवेचन करें और गोरक्षार्थ इस राष्ट्रिय आन्दोलन में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। तभी इस श्रम की सार्थकता होगी।

निवेदक—

दिल्ली,
महाशिवरात्रि, २०२१ वि०

सीताराम खेमका
मंत्री : सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान समिति

Scanned by CamScanner

સમરીતિર્મહાતેજાઃ પરબ્રહ્મ સનાતનઃ।
જયતાઽઽનન્દનાથો વેદવેદ્યો મહામતિઃ॥

॥ श्रीहरिः ॥

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः ।
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥

धर्म एवं संस्कृति का प्रतीक

गाय वैदिक-काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति-सभ्यता की प्रतीक रही है । स्वयं वेद गाय को नमन करता है :

'अघ्न्ये ! ते रूपाय नमः ।'

(अथर्व० शौन० १०।१०।१; पैप्प० १६।१०७।१)

'हे अवध्य गौ ! तेरे स्वरूप के लिए प्रणाम है ।' ऋग्वेद (१ । १५४ । ६) के अनुसार 'जिस स्थल पर गाय सुखपूर्वक निवास करती है, वहाँकी रज तक पवित्र हो जाती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है ।' हमारे जन्म से मृत्युपर्यन्त सभी संस्कारों में पञ्चगव्य और पञ्चामृत की अनिवार्य अपेक्षा रहती है । गोदान के बिना हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य सम्पन्न नहीं होता । व्रत, जप, उपवास सभोंमें गौ और गोप्रदत्त पदार्थ परमावश्यक हैं । गाय अपनी उत्पत्ति के समय से ही भारत के लिए पूजनीय रही है । उसके दर्शन, पूजन, सेवा-सुश्रूषा आदि में आस्तिक जन पुण्य मानते हैं । किसी पूज्य से पूज्य व्यक्ति की भी विष्टा पवित्र नहीं मानी जाती; किन्तु गोमूत्र गंगाजल के समान पवित्र माना है और गोमय में साक्षात् लक्ष्मी का निवास कहा गया है । चान्द्रायणादि महाव्रतों एवं यज्ञों में पञ्चगव्य पीने का विधान है, जिसमें गोमय-गोमूत्र मिश्रित रहते हैं । शास्त्रों के अनुसार हमारे अंग-प्रत्यंग, मांस-मज्जा, चर्म और अस्थि में स्थित पापों का विनाश पञ्चगव्य के पान से होता है । गाय सर्वदेवमयी है :

Scanned by CamScanner

'सर्वे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौः ।'

गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास है, अतः गाय सर्वदेवमयी है ।

भारतीय संस्कृति यज्ञ-प्रधान है । वेद से लेकर रामायण, महाभारतादि इतिहास-ग्रन्थों तक सर्वत्र यज्ञ को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है । यज्ञ के आधार हैं, मन्त्र और हवि जिनमें मन्त्र ब्राह्मण के मुख में निवास करते हैं तो हवि गाय के शरीर में । हवि के अभाव में यज्ञ की कल्पना भी सम्भव नहीं । इसीसे गाय भारतीय धर्म और संस्कृति की मूलाधार रही है । धर्मग्लानि को दूरकर धर्मसंस्थापन के उद्देश्य से अवतरित भगवान् एवं भगवद्विभूतियों ने सदैव गो-ब्राह्मणों की रक्षा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ।

'विप्र धेनु सुर सन्त हित, लीन्ह मनुज अवतार ।'

आनन्दकन्द, मदनमोहन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने तो यही कामना की है :

"गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः ।
गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥"

अर्थात् 'गायें मेरे आगे हों, मेरे पीछे हों, गायें मेरे सब ओर हों, मैं गायों के मध्य वास करूँ ।'

चक्रवर्ती नरेन्द्र दिलीप ने गोरक्षा के लिए अपना कमनीय-कान्त युवा शरीर ही सिंह के लिए अर्पण कर दिया और कहा था कि "क्षत से त्राण करने के कारण ही 'क्षत्रिय' शब्द संसार में रूढ़ हुआ है । यदि मैं नन्दिनी गौ की रक्षा नहीं कर सका तो क्षत्र-शब्दार्थ के विपरीत आचरण के कारण राज्य एवं प्राणियों की निन्दा से मलीमस प्राणों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं" :

"क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ।
राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा ॥"

Scanned by CamScanner

दिलीप ने सिंह से यह भी कहा था कि "जितनी कृपा आप मेरे भौतिक शरीर पर कर रहे हैं, उतनी कृपा मेरे यशःशरीर पर क्यों नहीं करते ? मेरे देखते-देखते यदि नन्दिनी गौ की हत्या हुई तो सूर्यवंश की कीर्ति में कलङ्क की कालिमा लग जायगी।"

श्रीरामचन्द्र रघवेन्द्र के कमल-से कोटिगुणित सुकोमल चरणारविन्दों में गो-ब्राह्मण-रक्षणार्थ ही दण्डकवन के कण्टक चुभे थे। भक्तों के हृदय में उसी दण्डक-कण्टकविद्ध पादारविन्द को स्थापित करके भगवान् साकेतधाम पधारे :

"स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धदण्डककण्टकैः।
स्वपादपल्लवं रामो ह्यात्मज्योतिरगात् प्रभुः॥"

भगवान् श्रीकृष्ण तो गोचारण और गोपालन के आदर्श ही हैं। उनकी गोपाङ्गनाएँ उनके नलिनसुन्दर चरणारविन्दों में तृण, अङ्कुर आदि के गड़ जाने की कल्पना से ही सन्तप्त हो उठती हैं :

"चलसि यद् व्रजाच्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्।
शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति॥"

अर्थ-व्यवस्था की रीढ़

धर्म और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ-साथ गाय भारत की कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। देश में सदैव से गोधन को ही 'धन' माना जाता रहा है। प्राचीन काल में तो किसी भी वस्तु का मूल्याङ्कन गौ के द्वारा ही होता था। हमारे यहाँ गोपालन पश्चिमी देशों की भाँति केवल दूध और मांस के लिए नहीं होता। अमृततुल्य दूध के अतिरिक्त खेत जोतने एवं भार ढोने के लिए बैल तथा भूमि की उर्वरता बनाये रखने के लिए उत्तम खाद भी हमें गाय से ही

Scanned by CamScanner

प्राप्त होती है, जिसके अभाव में हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का शकट किसी प्रकार चल नहीं सकता।

भारतीय कृषि की यह अनिवार्य अपेक्षा है कि देश में पर्याप्त संख्या में उत्तम बैल उपलब्ध हों। इस समय देश में उनकी जो स्थिति है, वह उत्कृष्टता और संख्या दोनों दृष्टियों से असन्तोषजनक है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अनुमानानुसार देश में ३६ करोड़ ५२ लाख एकड़ भूमि में खेती होती है। १६२७ के 'रायल कमीशन' की कृषिसम्बन्धी रिपोर्ट के अनुसार प्रति १०० सौ एकड़ भूमि के लिए २० बीस बैलों की आवश्यकता है। 'कैटल मार्केटिंग रिपोर्ट—१६४६' के अनुसार उक्त हिसाब से ८ करोड़, ६ लाख, ५ हजार बैलों की आवश्यकता है। १६६१ की पशु-गणना के अनुसार देश में केवल ६ करोड़, ८६ लाख, १ हजार, ६१४ कार्यक्षम बैल उपलब्ध हैं। इस प्रकार देश में एक करोड़ से अधिक बैलों की कमी है, जिससे कृषि-उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष १० प्रतिशत बैल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए एक करोड़ नये बैलों की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। यह पूर्ति वर्तमान गोधन से ही सम्भव है, भले ही उनकी दुग्धोत्पादन की क्षमता कितनी ही कम क्यों न हो। इसी सन्दर्भ में भारत-सरकार की "मानव तथा पशु-भोजन विशेषज्ञ समिति' ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 'चूंकि बैलों की वर्तमान संख्या को कृषि के लिए बनाये रखना आवश्यक है और प्रजनन के द्वारा उनकी पूर्ति करना भी अनिवार्य है, अतः प्रजननयोग्य गौओं की संख्या कम करना हितकर नहीं हो सकता, भले ही उनमें से अधिकांश की दूध देने की क्षमता कितनी भी कम क्यों न हो।'

ट्रैक्टरों का प्रयोग

ट्रैक्टर उक्त समस्या का हल नहीं है। स्व० लालबहादुर शास्त्री के अनुसार

Scanned by CamScanner

(७)

"देश में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है, जहाँ ट्रैक्टरों का प्रयोग हो ही नहीं सकता। अमेरिका में ट्रैक्टरों से खेती हो सकती है, क्योंकि वहाँ एक किसान के पास कम से कम १४ एकड़ भूमि का औसत है, जब कि भारत में १ एकड़ भूमि का औसत है। ऐसी दशा में हमें भारत में खेती के लिए लम्बे समय तक बैलों पर निर्भर रहना पड़ेगा।" (भाषण : हैदराबाद १९६५)

केन्द्रीय गोसंवर्धन-परिषद् के अध्यक्ष श्री उ० न० ढेबर के शब्दों में "१९६५ के ताजे आँकड़ों से पता चलता है कि देश में कुल ४० हजार ट्रैक्टर हैं जिनमें २० हजार बेकार पड़े हैं। इससे प्रकट होता है कि इस देश में ट्रैक्टरों की कितनी कार्यक्षमता है और ट्रैक्टर से खेती करना कितना लोकप्रिय हो सकता है। जो लोग ट्रैक्टर से खेती करने के लिए उतावले हो रहे हैं, उन्हें इस सम्बन्ध में शान्ति से विचार करना चाहिए।" (भाषण : १९६५ हैदराबाद)

देश में कृषि और अन्य कार्यों में संलग्न बैलों की संख्या लगभग सात करोड़ है। उनके द्वारा बिना किसी अन्य सहायता के ३ करोड़ हार्स पावर शक्ति पैदा होती है, जिसे उत्पन्न करने के लिए मध्यम प्रकार के ४० लाख ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। इन ४० लाख ट्रैक्टरों को प्राप्त करने और चलाने में कितना धन खर्च होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

सर अलबर्ट हॉवर्ड ने अपने 'An Agricultural Testament' में ट्रैक्टर से खेती करने की हानि भी दिखायी है। आपने लिखा है : "घोड़े और बैल के बदले बिजली की मोटर और तेलवाले इंजनों से खेती करने में एक हानि यह है कि इन मशीनों से गोबर और मूत्र नहीं मिलता। फलतः ये मिट्टी की उर्वरता बनाये रखने में किसी काम के नहीं हैं।" (उल्टे उनके तेल और धुएँ से खेत की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुँचता है, पृष्ठ १८)। इसके अतिरिक्त कृषि

Scanned by CamScanner

विशेषज्ञों के मतानुसार भी ट्रैक्टर सर्वत्र और सदैव उपयोगी नहीं होते, ऊबर भूमि को तोड़ने एवं कृषियोग्य बनाने में अथवा ऊबड़-खाबड़ भूमि के लिए भले ही वे उपयोगी हों।

उपर्युक्त स्थिति में भारत में कृषि के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग न तो सम्भव है और न उपयोगी ही। इस प्रकार भारतीय कृषि के लिए गाय की सन्तति, बैल ही रह जाते हैं। १९२९ में भारतीय कृषि रायल कमीशन ने भी लिखा है कि "गाय और बैल अपनी दृढ़ पीठ पर हमारी अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण भार बढ़ाये हुए हैं।"

गोमय और गोमूत्र

आर्थिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से अमृततुल्य दूध एवं बैल के पश्चात् गोबर और गोमूत्र का स्थान है। भूमि की उर्वरता और उत्पादक शक्ति बनायें रखने के लिए उत्तम खाद की अनिवार्य अपेक्षा सर्वमान्य है। वृद्धता अथवा रोग के कारण गाय यदि दूध और बछड़े देने योग्य न रहे, तो भी खाद तो वह जबतक जीवित रहती है, देती ही है। डा० बॉयलर ने गाय के गोबर का विश्लेषण करके बतलाया है कि एक टन सूखा गोबर १५५ रत्तल 'सलफेट अमोनिया' (Sulphate Ammonia) की खाद के बराबर है।' उन्हींके अनुमानानुसार भारत में गोवंश से प्राप्त होनेवाले गोबर से ही एक करोड़ रुपये के मूल्य की खाद प्रतिदिन प्राप्त हो सकती है। यह केवल सूखे गोबर के मूल्य का अनुमान है, जो वर्ष में ३६० करोड़ रुपये का होगा। डा० बॉयलर अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय कृषि की उन्नति की जाँच करने कृषि-निष्णातों का कमीशन लेकर भारत आये थे और तेरह मास तक भारत में दौराकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

Scanned by CamScanner

डाक्टर इकलसन ने 'दुधारू ढोर और दुग्ध-उत्पादन' ('Dairy cattles and Milk production') नामक पुस्तक में बताया है कि "एक हजार रत्तल वजन की गाय वर्ष में ८ हजार रत्तल मूत्र और १८ हजार रत्तल गोबर देती है। ८ हजार रत्तल मूत्र की खाद का मूल्य १३.६० डालर और १८ हजार रत्तल गोबर की खाद का मूल्य १३.१० डालर होता है।" उनका कहना है कि "यह ठीक है कि व्यवहार में प्रायः इसका ध्यान नहीं रखा जाता कि पशुओं के गोबर और मूत्र में उपजाऊ गुणवाले पदार्थ अधिक होते हैं। ऊपर के आँकड़ों में, ८००० रत्तल मूत्र में जितना नाइट्रोजन होता है, लगभग उतना ही गोबर में है" (यह दिखाकर उक्त बात स्पष्ट की गयी है : पृष्ठ ४८१)।

इकलसन की गवेषणा को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खाद प्रतिदिन गोवंश के मूत्र से ही मिल सकती है। इसके अतिरिक्त गाय के गोबर और गोमूत्र की एक मात्रा पौधों के कचरे की ५ से १० मात्रा तक को कम्पोस्ट में परिणत कर सकती है। यदि कम्पोस्ट खाद के लिए गोबर से अच्छा है तो यह बात हमारी बुद्धि में सहज ही बैठ सकती है कि गाय खाद देनेमात्र से ही अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देती है।

कृत्रिम रासायनिक खाद

कृत्रिम रासायनिक खाद से प्रारम्भ में भले ही उत्पादन में कुछ वृद्धि दिखायी दे, पर स्वल्पकाल में ही उससे भूमि की उत्पादनशक्ति का ह्रास हो जाता है और वह प्रायः ऊसर बन जाती है। इस भावी संकट की गम्भीरता पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए।

सर अलबर्ट हॉवर्ड ने इस विषय में जो खोज की है, वह आँखें खोल देनेवाली है। वे भारत-सरकार के इकोनॉमिक बॉटनिस्ट (Economic

Botanist) बनकर भारत आये और "पूसा कृषि-गवेषणा परिषद्" में काम करने लगे। अपने दीर्घकालीन अनुभव को आपने ग्रन्थरूप में उपस्थित किया है जो "ऐन एग्रीकल्चरल टेस्टामेण्ट" (An Agricultural Testament) नाम से प्रकाशित है। इस ग्रन्थ में आपने लिखा है कि "फसलों के रोग भूमि के अस्वस्थ और रोगी होने के कारण होते हैं और भूमि के रोगी होने का कारण है प्राकृतिक खाद गोबर या हरी खाद का न मिलना। अतः गोबर तथा हरी खाद ही भूमि की प्राकृतिक खाद है। रासायनिक खाद भूमि को जीवांश ('ह्यूमस') प्रदान नहीं करती।" आप लिखते है कि "ये रासायनिक पदार्थ भूमि को सन्तुष्ट नहीं रख सकते। इनके उपयोग से वृद्धि और क्षय का कभी सन्तुलन नहीं हो सकेगा। पृथ्वी माता का प्राकृतिक खाद का अधिकार छीन लेने से वह विद्रोही हो गयी है, उसने हड़ताल कर रखी है। कृषि का उत्पादन घट रहा है। जिस क्षेत्र ने ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain) जैसे देश की प्रजा को खिलाया और वहाँसे वहाँ की मशीनों को कच्चा माल दिया जाता है, उसकी बाँझ बताती है कि निस्सन्देह वहाँ की भूमि अन्न भार वहन करने में असमर्थ हो रही है। भूमि की उपज विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में द्रुतगति से घट रही है।"

डाक्टर हॉवर्ड के निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि रासायनिक खाद का उपयोग करने से केवल यही हानि नहीं कि भविष्य में उससे उपज कम होगी, अपितु यह भी कि उससे भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। फलस्वरूप अस्वस्थ भूमि से अन्न और चारा भी दूषित उत्पन्न होगा, जिससे मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारतीय कृषि की उन्नति के लिए रासायनिक खाद का उपयोग कभी हितकर नहीं हो सकता। इसके साथ ही रासायनिक खाद में काम आने-वाला गन्धक और मशीनों का विदेशों से आयात करना पड़ता है, जो भारत

Scanned by CamScanner

की अर्थ-व्यवस्था पर एक बड़ा भार है। अतः भारत की कृषि-अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए गोवंश का सम्यक् संरक्षण और संवर्धन परमावश्यक है जिसे हम किसी प्रकार आँखों से ओझल नहीं कर सकते।

गो-दुग्ध

कृषि के लिए बैल, उत्तम खाद के अतिरिक्त गाय हमें शरीर और मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए अमृततुल्य दुग्ध भी प्रदान करती है। हमारे देश की अधिकांश जनता आज भी शाकाहारी है। अतः दूध ही भारत की अधिकांश जनता का सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक आहार है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गोदुग्ध, गोदधि, गोतक्र अत्यावश्यक है। उससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद एवम् आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी शरीर-स्वास्थ्य एवं रोगनिवृत्ति के लिए गाय के दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, घृत, मूत्र, गोबर आदि का अत्यन्त उपयोग है।

किन्तु दूध की जो मात्रा आज हमारे देश में उपलब्ध है, वह बहुत ही निराशाजनक है। भारत में प्रतिव्यक्ति दूध की खपत केवल ४.७५ औंस है, जब कि अमेरिका, डेन्मार्क, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में प्रतिव्यक्ति ५० औंस तक है। भोजनविशेषज्ञों के मतानुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम १३ औंस दूध चाहिए। ऐसी स्थिति में देश में एक भी गाय की हत्या होना कदापि उचित नहीं माना जा सकता। यद्यपि देश के वर्तमान गोधन की दुग्धोत्पादन-क्षमता बहुत क्षीण है, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में आज जितने परिमाण में दूध का उत्पादन होता है और जितनी भी संख्या में बैल तैय्यार होते हैं, वे सब हमें इन्हीं गौओं से ही उपलब्ध होते हैं। इस सम्बन्ध में "मनुष्य तथा पशुभोजन कमेटी" (Human Nutrition vis-a-vis Animal Nutrition in India) की निम्नलिखित सम्मति विचारणीय है :

Scanned by CamScanner

સમરીતિર્મહાતેજાઃ પરકૃત્ય સનાતનઃ।
જયતાજ્જાગતીનાથો વેદવેદ્યો મહામતિઃ॥

"उक्त तथ्यों से विदित है कि भारत के दुधारू पशुओं और विशेषतः गायों के दूध देने की क्षमता बहुत क्षीण है। यह न्यायसंगत नहीं मालूम होता कि दो पौंड या इससे कम प्रतिदिन दूध देनेवाले पशुओं का पालन-पोषण किया जाय। सामान्य दृष्टि से देखें तो ऐसे पशुओं का निष्कासन कर देना चाहिए, परन्तु ऐसा करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की नीति का क्या भयंकर परिणाम होगा ? यदि दो पौंड से कम दूध देनेवाले ऐसे पशुओं को बेकार समझकर नष्ट कर दिया गया तो उसके परिणामस्वरूप हमारी वर्तमान दुधारू गायों की ९० प्रतिशत संख्या नष्ट हो जायगी। इसका फल यह होगा कि हमें इस समय जो ९.७ मिलियन टन दूध प्राप्त हो रहा है, उसमें से ७ मिलीयन टन दूध से हाथ धोना पड़ेगा।"

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हमें देश में दूध का वर्तमान उत्पादन कायम रखना है और उसमें वृद्धि करनी है, तो एक भी गाय की हत्या होना कदापि उचित नहीं माना जा सकता। हां, संतुलित आहार आदि साधनों से उसकी दुग्धोत्पादन-क्षमता बढ़ाने का प्रयास ही अधिक उपयोगी हो सकता है। अनुभवी विशेषज्ञों ने अब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि गाय को पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार देने मात्र से उसका दुग्धोत्पादन लगभग ४०-५० प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। अतः कम दूध देनेवाली गायों की दुग्धोत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए अनुभूत प्रयोग करना देश के सर्वविध हित में हैं (अच्छे साँडों के साथ सम्बन्ध कराने और गो-सन्तानों को गौ का सम्पूर्ण दूध पिलाने से दो तीन पीढ़ियों में ही आशातीत गोवंश की उत्तम स्थिति और दुग्ध-वृद्धि हो सकती है)। भारत-सरकार द्वारा प्रस्ताव-संख्या एफ २५-८।४७ एल, दिनाङ्क १९ नवम्बर १९४७ के अन्तर्गत गोरक्षण एवं गोसंवर्धन-विशेषज्ञ

સમ્રીતિર્મહતેજાઃ પરકાર્ય સમાગતઃ।
જયતાજ્જામાત્રેનાથો વેદવેદ્યો મહામતિઃ॥

समिति की निम्नलिखित सिफारिश उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए निःसन्देह पर्याप्त है :

"इस समिति की राय में किसी भी अवस्था में भारत में गोहत्या होना वांछनीय नहीं है। कानून द्वारा गोहत्या बन्द हो जानी चाहिए। भारत की सुख-समृद्धि अधिकांशतः गोवंश के ऊपर निर्भर है। भारत की आत्मा को तबतक संतोष नहीं होगा, जबतक पूर्णतया गोहत्या बन्द नहीं हो जायगी और गोवंश की वर्तमान दीन-हीन दशा को सुधारा नहीं जायगा।"

अनुपयोगी पशुओं का हौआ

संपूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध के विरुद्ध गोहत्या के समर्थकों की ओर से देश में अनुपयोगी पशुओं की संख्या का हौआ खड़ा किया जाता है। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि गोवंश के पशुओं की विविध उपयोगिता देखते हुए, जैसा कि विस्तार से दिखाया जा चुका है, देश में कोई अनुपयोगी पशु है ही नहीं। हमारे यहाँ गोपालन दुग्ध, बैल और खाद के लिए किया जाता है। अतः केवल दूध और बैल-शक्ति की दृष्टि से गोवंश की उपयोगिता निश्चित करना ठीक नहीं है। किन्तु सरकारी निष्णातों ने सदैव केवल दुग्धोत्पादन और बैलशक्ति को लेकर ही अनुपयोगी पशुओं की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इतने पर भी सन् १९५१ की पशुगणना-रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित अनुपयोगी पशुओं की संख्या २.५ प्रतिशत अर्थात् लगभग ४० लाख थी। देश के ७ लाख गाँवों में फैले ये पशु एक मोटे अनुमान के अनुसार गोबर और गोमूत्र के रूप में प्रतिपशु ४८ रुपये वार्षिक आय देता है जब कि विशेषज्ञों द्वारा निर्मित गोसदन-योजना के अनुसार ऐसे एक अनुपयोगी पशु के पालन पर ३६ रुपये प्रतिवर्ष खर्च आता है। इस प्रकार तथाकथित अनुपयोगी पशु भी वास्तव में अनुपयोगी नहीं है।

Scanned by CamScanner

दूसरी बात यह कि गोहत्या पर प्रतिबन्ध से अनुपयोगी गायों की संख्या का कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकारी आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि जिन राज्यों में गोहत्या बन्द है, वहाँ अनुपयोगी पशुओं की संख्या उन राज्यों की तुलना में बहुत कम है, जिनमें गोहत्या जारी है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में केवल ०.७७ प्रतिशत निरुपयोगी पशु हैं। राजस्थान में १.२२ प्रतिशत, बिहार में १.६२ प्रतिशत, मध्यप्रदेश में १.५? प्रतिशत, मैसूर में २.१५% पंजाब में ०.७ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में ०.७८ प्रतिशत अनुपयोगी पशु हैं, यद्यपि इन प्रदेशों में गोहत्या पर पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबन्ध है। जब कि जिन प्रदेशों में गोहत्या पर प्रतिबन्ध नहीं है, उनमें यह संख्या आसाम में ४.३६%, मद्रास में ५.२८%, आन्ध्र प्रदेश में ३.३४% और बंगाल में २.४७ प्रतिशत है। इन आँकड़ों से सिद्ध होता है कि गोहत्याबन्दी के साथ अनुपयोगी पशुओं की संख्या का कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस प्रकार गोहत्याबन्दी से देश में अनुपयोगी पशुओं की बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट की बात सर्वथा निराधार सिद्ध होती है। 'दातार-कमेटी' की रिपोर्ट, जिसमें सभी सरकारी पशु-निष्णात सम्मिलित थे, की पूर्ण गोहत्याबन्दी के लिए सिफारिश तथा प्रोफेसर भाभा के ये शब्द कि "आज जिस स्थिति में हम हैं, उसमें गोहत्या बन्द होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश को हानि है" एवं संविधान की ४८ वीं धारा उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्ट साक्षी हैं।

गोहत्या पर प्रतिबन्ध के प्रादेशिक कानून अधूरे

उपयोगी पशुओं की हत्या रोकने के लिए विभिन्न प्रदेशों में बनाये गये कानून इस समस्या को सुलझाने में सर्वथा असफल रहे हैं, जिसके फल-स्वरूप देश की उत्तम नस्लों का विनाश होने से स्थिति बहुत बिगड़ गयी है।

Scanned by CamScanner

उदाहरण के लिए कलकत्ता और बम्बई को ही लीजिये। यहाँ १९४४ से ही एक निश्चित आयु के उपयोगी पशुओं की हत्या रोकने के लिए कानून हैं, किन्तु स्थिति में आजतक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देश के विभिन्न भागों से उत्तम से उत्तम नस्ल की गायें प्रतिवर्ष दुग्ध-व्यवसाय के लिए यहाँ लायी जाती है। इनके बच्चों को तो जान-बूझकर भूखा मार दिया जाता है और गायें दूध सूखने पर सीधी कसाईखानों में पहुँच जाती हैं। २४ मई १९५३ को तत्कालीन कृषिमन्त्री डा० पंजाबराव देशमुख ने 'कैटल यूटिलाइजेशन एडवायजर' तथा तथा अन्य पशु-विशेषज्ञों के साथ कलकत्ते के 'गार्डन रीच' कसाईखाने का निरीक्षण किया था। उन्होंने वहाँ यह देखकर आश्चर्य और खेद व्यक्त किया कि उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक होने के बावजूद, भ्रष्टाचार के कारण वहाँ सर्वोत्तम उपयोगी पशुओं की हत्या होती है। उत्तरप्रदेश सरकार की जाँच-कमेटी की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि "**उपयोगी गोवंश को भी तबतक बचाया जाना सम्भव नहीं, जबतक गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध न लगाया जायगा।**"

सरकारी रिपोर्टों से उद्धृत गाय और बछड़ों के चमड़ों के निर्यात आंकड़ों से स्पष्ट है कि ये अधूरे कानून बछड़ों तथा उपयोगी पशुओं की हत्या को रोकने में सफल नहीं हो सकते :

वर्ष	बछड़ों की खालें	गायों की खालें
१९५१–५२	१८,५६,०४४	४५,६७,०००
१९५२–५३	२०,०८,०११	४६,०९,१७१
१९५३–५४	२६,४३,८५५	५५,५८,१०२
१९५४–५५	२२,०१,२०७	४१,०१,३६१
१९५५–५६	२३,७७,६२५	५३,९२,७३८

Scanned by CamScanner

गत वर्षों में तो ये आंकड़े उत्तरोत्तर बढ़ते गये हैं, किन्तु आजकल सरकार इन आंकड़ों को छिपाती है। स्पष्ट है कि इस समय एक करोड़ से अधिक गौए तथा बैल प्रतिवर्ष इस देश में कटते हैं।

गो-संवर्धन

इसमें सन्देह नहीं कि गोहत्याबन्दी के साथ-साथ गायों की दुग्धोत्पादन-क्षमता बढ़ाने, नस्ल-सुधार, एवं गोमय और गोमूत्र के समुचित उपयोग की व्यवस्था के लिए गोसंवर्धन का सबल प्रयास अपेक्षित है। किन्तु गोहत्या पर प्रतिबन्ध के अभाव में गोसंवर्धन की बात गोरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्त्व की नहीं, क्योंकि गोहत्या के चलते सरकार द्वारा प्रस्तावित गोसंवर्धन भी उसके मुर्गा-मुर्गी-संवर्धन, मत्स्य-संवर्धन और शूकर-संवर्धन की तरह ही केवल अधिक मांसप्राप्ति के लिए ही होगा। अतः सम्पूर्ण गोवंश की हत्या पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगे बिना गोसंवर्धन की बात केवल धोखाधड़ी ही है।

रचनात्मक उपाय

यद्यपि यह ठीक है कि जिन कारणों से गोहत्या होती है, उन्हें भलीभांति समझकर उनका निराकरण करने के लिए भरसक प्रयास करना प्रत्येक गोरक्षा चाहनेवाले भारतीय का परम कर्तव्य है। उदाहरण के लिए मारे हुए पशुओं के चर्म की बनी वस्तुओं का प्रयोग, कोटोजम आदि वनस्पति घृत का सेवन, गोहत्या को प्रश्रय देनेवाले हैं। अतः इनका प्रयोग तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। किन्तु यदि कोई यह कहे कि रचनात्मक कार्यों से गोहत्या स्वतः ही बन्द हो जायगी, इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है तो उसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यदि स्थान-स्थान पर चीनी मिलें खोल दी जायँ, गन्ने के भाव बढ़ा दिये जायँ और जनता में प्रचार किया जाय कि 'गन्ना मिलों में न भेज-कर उसे घर पर 'पीड़ो और गुड़ बनाओ', तो वह उपदेश कभी कारगर नहीं

होगा। सर्वसाधारण जनता सदैव सुविधा देखती है। औचित्य-अनौचित्य, नीति-अनीति देखनेवाले लोग कम ही होते हैं। अतः लाख उपदेश करने पर भी सुविधा और लाभ को दृष्टिगत रखकर किसान गल्ला मिलों में ही भेजेगा, क्योंकि हमारे लाख उपदेश एक तरफ और सुविधाएँ एक तरफ, इसी प्रकार स्थान-स्थान पर बूचड़खाने खोल दिये जायँ, बेकार गायों की कीमतें बढ़ा दी जायँ तो ऐसी स्थिति में गोहत्या-बन्दी का उपदेश कौन सुनेगा?

यदि उपदेश मात्र से ही बुराइयाँ दूर करना संभव हो, तो फिर आत्महत्या-निषेध का कानून किसलिए? सभी जानते हैं कि आत्महत्या बहुत बुरा काम है। सभी धर्मशास्त्रों में आत्महत्या को घोर पाप माना गया है। फिर भी कुछ लोग ऐसे निकल ही आते हैं जो आत्महत्या में प्रवृत्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि जो लोग उपदेशों से नहीं मानते, उन्हींके लिए कानून बनाया जाता है। इसी प्रकार शराब पीना बुरा है। उपदेश और प्रचार भी होते हैं, फिर भी शराब का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अतः उसे रोकने के लिए कानून की जरूरत पड़ती ही है। इससे स्पष्ट है कि उपदेश और प्रचार के पश्चात् भी समाज में कुछ ऐसे लोग निकल ही आते हैं, जो उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। उन्हींको रोकने के लिए कानून की आवश्यकता होती है और इसीलिए शासन की भी अपेक्षा है। अतः 'गाय मत बेचो' यह उपदेश और प्रचार आवश्यक होने पर भी गोहत्याबन्दी कानून अनिवार्य है। कानून भी हो और उपदेश भी, तभी काम चलेगा।

गोहत्या और अन्न-समस्या

गोहत्या के समर्थक एक तर्क यह भी उपस्थित करते हैं कि 'देश में पहले ही अन्न की समस्या भयंकर रूप धारण किये हुए है। यदि गोहत्या बन्द कर दी जाय, तो लोग भूखे मर जायँगे।' किन्तु ये लोग उक्त तर्क प्रस्तुत करते समय,

Scanned by CamScanner

भूल जाते हैं कि गोवंश मानव का सहभोजी प्राणी नहीं है। वह तिनके, घास और भूसा खाकर जीवित रहता है। मनुष्य के खाद्य पदार्थों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत गोबर और गोमूत्र की खाद से अन्नोत्पादन में वृद्धि होती है, जो देश की खाद्यसमस्या के लिए वरदान रूप सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार अन्न और चारे की समस्या का हल एक साथ हो सकता है। अनुभवहीन और वस्तुस्थिति को न जाननेवाले लोग ही दूसरों के स्वर में स्वर मिलाकर ऐसे तर्क उपस्थित करते हैं। साथ ही यह भी प्रसिद्ध है कि घृत, दुग्ध आदि सेवन करने से अन्न की खुराक कम हो जाती है। गोरस के बिना अन्न की खुराक बढ़ जाती है। इस तरह अन्नसंकट दूर करने में जहाँ दुग्ध-घृतादि द्वारा सहायता मिलती है, वहीं गोमूत्र, गोबर आदि से सम्यक् खाद द्वारा अन्न का उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे अन्नसंकट दूर करने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

चारे का अभाव

सरकार की ओर से यह घोषित किया जाता है कि देश में केवल दो तिहाई पशुओं के लिए चारा और एक तिहाई पशुओं के लायक दाना है। किन्तु यह जानते हुए भी उपलब्ध पशु-खाद्यों का औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है और खली, चोकर, गमगुवार आदि पशु-खाद्यों का अन्धाधुन्ध निर्यात किया जाता है—इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। अतः चारे की समस्या हल करने के लिए सर्वप्रथम चारे-दाने के उपलब्ध साधनों को सुरक्षित रखना, उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना तथा पशु-खाद्यों का औद्योगिक कार्यों में उपयोग बन्द करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देश में बहुत प्रकार की ऐसी घास है, जिन्हें चारे के लिए अनुपयोगी समझकर वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जैसे : 'पुआल'। विशेषज्ञों के मत से यदि पुआल को भिगोकर पशुओं

Scanned by CamScanner

को खिलाने के काम में लाया जाय, तो बहुत उपयोगी और पौष्टिक सिद्ध होता है। इसी प्रकार देश में और भी अनेक प्रकार की घास उपलब्ध हैं, जिन्हें चारे के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। देश में अन्नोत्पादन बढ़ाने के लिए पञ्चवर्षीय योजनाओं द्वारा बड़े स्तर पर प्रयत्न हो रहे हैं। अन्नोत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ चारे का उत्पादन स्वयमेव बढ़ेगा। साथ ही इस सिद्धान्त को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि खाद्यादि का अभाव होने पर उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना ही कर्तव्य है, भोक्ता को कम करना नहीं। भोक्ता के लिए ही भोग्य होता है। अतः उसके लिए भोग्य को घटाया-बढ़ाया जा सकता है, भोग्य के लिए भोक्ता को नहीं। अन्यथा यह भी कहा जा सकता है कि नौजवान औरतों, मर्दों के लिए अन्न और वस्त्र प्राप्त करने के लिए वृद्ध, लूले, लँगड़े अनुपयोगी स्त्री-पुरुषों को खतम कर देना चाहिए।

गोपालन के लिए भूमि का अभाव

गोपालन के लिए भूमि की कमी का तर्क भी निराधार है। देश में कितने ही ऐसे ऊसर प्रदेश आज भी विद्यमान हैं, जहाँ विशाल परिमाण में गोचरभूमि की व्यवस्था की जा सकती है। पाँच करोड़ तक गायों का पालन करने लायक ऊसर प्रदेश तो केवल राजस्थान और मध्यप्रदेश में ही मिल जायँगे। ऐसा करने से दो लाभ होंगे: प्रथम तो गोपालन के लिए भूमि की कमी की समस्या हल हो जायगी। दूसरे जिस ऊसर भूमि में गोपालन होगा, वह गोमय और गोमूत्र के संसर्ग से थोड़े ही समय में उपजाऊ हो जायगी—ऐसा अनेक पाश्चात्य और भारतीय गोपालकों का प्रत्यक्ष अनुभव है। रेलवे तथा अन्य राजमार्गों के दोनों ओर जो भूमि पड़ी रहती है, उनमें भी चारा उपजाकर चारे की कमी दूर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नगरों

Scanned by CamScanner

और गाँवों के साथ संलग्न गोचरभूमि को, जिसे जोत लिया गया है, पुनः गोचारण के लिए छोड़ दिया जाय। इससे उक्त समस्या के हल में बड़ा भारी योग मिलेगा।

आर्थिक क्षति की पूर्ति

सम्पूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने से गोमांस, गोचर्म और अँतड़ियाँ आदि विभिन्न वस्तुओं के निर्यात से होनेवाली आय की क्षति की समस्या का प्रश्न भी उठाया जाता है। इस तात्कालिक आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए स्वर्गीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री से एक भेंट में पुरी और ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य-द्वयी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल ने आश्वासन दिया था कि यदि सरकार एतदर्थ 'गोसंवर्धन-कर' लगाये तो वे जनता को उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अतिरिक्त मठ-मन्दिर एवं अन्य धार्मिक न्यासों की सम्पत्ति से भी सहायतास्वरूप एक निश्चित भाग का विनियोग खुशी से किया जा सकता है। जिस-जिस मुख्य उद्देश्य से जो-जो सम्पत्ति लगी हुई है, उसे बाधित न करते हुए भी उनसे बहुत-सी आय है। उक्त क्षतिपूर्ति एवं अनुपयोगी गोवंश के पालन के लिए उस अतिरिक्त आय को लेने का कानून भी बनाया जा सकता है। देश में चल रही गो-शालाओं, गोसदनों एवं पिंजरापोलों पर ध्यान देने से भी इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। गोमय और गोमूत्र की खाद का समुचित उपयोग कर रासायनिक खाद पर होनेवाला व्यय भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार तात्कालिक क्षतिपूर्ति की समस्या का हल भी आसानी से हो सकता है।

सरकार का हठ युक्तिशून्य

वास्तव में आज सरकार के पास एक भी युक्ति ऐसी नहीं, जिसे वह

Scanned by CamScanner

गोहत्याबन्दी की मांग के विरोध में प्रस्तुत कर सकें। हमने अनेक बार सरकार का आह्वान किया है कि वह हमें आर्थिक, सामाजिक, लोककल्याण, किसी भी दृष्टि से समझा दे कि कानून बनाकर गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाना राष्ट्र के लिए हानिकर है। किन्तु सरकार के पास कोई जवाब नहीं। उल्टे हम चुनौती देते हैं कि हम सरकार के निष्णातों को युक्तिपूर्वक यह समझाने को तैयार हैं कि सभी दृष्टियों से संविधान में संशोधन कर सम्पूर्ण गोवंश की हत्या पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाना परमावश्यक है। इसके बिना देश की धर्मप्रधान अहिंसक संस्कृति, कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्यस्तर और उपयोगी पशुधन की रक्षा कदापि सम्भव नहीं है। गोरक्षण एवं गोसंवर्धन-समिति के शब्दों में "भारत की आत्मा को तबतक सन्तोष नहीं होगा, जबतक पूर्णतया गोहत्या बन्द नहीं हो जायगी।"

स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चात् गत बीस वर्षों का इतिहास साक्षी है कि सरकार की इसी युक्तिशून्य हठवादिता के कारण देश से गोहत्या का काला कलंक नहीं मिट पाया, प्रत्युत उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। १९४६ में अन्तरिम सरकार बनते ही देश की जनता ने गोहत्याबन्दी की मांग की थी, जिसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन खाद्यमन्त्री स्वर्गीय डॉ० राजेन्द्रप्रसाद जी ने सर दातार-सिंह की अध्यक्षता में गोसंरक्षण और गोपालन विशेषज्ञ-समिति की नियुक्ति की। समिति ने प्रश्न के सभी पक्षों पर विचारकर अपनी रिपोर्ट सन् १९४८ में प्रस्तुत की, जिसमें स्पष्टरूप से देश से सम्पूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की थी। उसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए संविधान-निर्मात्री परिषद् ने संविधान में धारा ४८ समाविष्ट की जो निम्नलिखित प्रकार की है :

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य

Scanned by CamScanner

दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिरोध करने के लिए अग्रसर होगा।"

गोहत्याबन्दी में केन्द्रीय सरकार ही बाधक

विधान के अनुसार गोहत्या-निषेध करना राज्य-सरकार के अधिकार में रखा गया है। किन्तु वस्तुस्थिति तो यह है कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में न तो स्वयं कुछ करना चाहती है और न राज्य-सरकारों को ही करने देती है। भारत-सरकार के सामने अब भी गोहत्याबन्दी की मांग की गयी, उसका सदैव यही उत्तर मिलता रहा और अब भी मिल रहा है कि यह विषय राज्य-सरकारों के अधीन है। किन्तु जब कभी राज्य-सरकारों ने इस सम्बन्ध में कोई कदम बढ़ाना चाहा तो झट केन्द्रीय सरकार की ओर से बाधा खड़ी की गयी। भारत-सरकार के कृषि-मन्त्रालय ने २० दिसम्बर १९५० के पत्र द्वारा राज्य-सरकारों को सम्पूर्ण गोवधबन्दी न करने का आदेश दिया था। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में २४ सितम्बर १९५३ को कृषि-मन्त्रियों के सम्मुख गोहत्या बन्द न करने का आदेश दिया। २६ अगस्त १९५३ को भारत गोसेवक समाज के प्रमुख नेता श्री राधाकृष्ण जी बजाज से मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री ने स्पष्ट कहा था कि वह गोहत्या बन्द कर देते, किन्तु केन्द्र के नेता बन्द नहीं करने देते। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि केन्द्रीय सरकार और पण्डित नेहरू गोहत्याबन्दी के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट रहे और संविधान के निर्देश और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से अधिक अपनी हठवादिता को महत्त्व देकर उन्होंने देश से इस घोर कलंक को मिटने नहीं दिया।

जनमत की अवहेलना

भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतन्त्र राज्य माना जाता है। जनतन्त्र में जनता

Scanned by CamScanner

के बहुमत की माँग स्वीकार करना शासन का कर्तव्य माना गया है। स्वयं सरकार यह स्वीकार करती है कि देश की अधिकांश जनता की भावनाएं गोहत्याबन्दी के पक्ष में है, फिर भी जनता की मांग की गत बीस वर्ष से बराबर उपेक्षा की जा रही है। क्या यह जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा और सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं ? किन्तु आज की सत्तारूढ़ सरकार जनतन्त्र के सब सिद्धान्तों को ताक में रखकर देश की ८५ प्रतिशत जनता की मांग की केवल उपेक्षा ही नहीं कर रही है। प्रत्युत शक्ति के साथ येन केन प्रकारेण उसे दबा देने पर लगी है। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए।

अन्त में सरकार से हमारा इतना ही कहना है कि उसे यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि जनता की मांग की अब और अधिक उपेक्षा संभव नहीं है। अतः झूठी प्रतिष्ठा के व्यामोह को छोड़कर देश के मस्तक से गोहत्या के घोर कलंक को दूरकर यश की भागी बने। अन्यथा देश में गोहत्या तो निश्चित रूप से बन्द होगी ही, किन्तु कलंक उसके सिर रह जायगा। गोभक्त जनता से भी हमारा यही कहना है कि उन्हें देश में सम्पूर्ण गोवंश की हत्या पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाने की मांग को लेकर चल रहे आन्दोलन को सबल बनाने के साथ रचनात्मक कार्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि रचनात्मक कार्यों की अवहेलना की गयी तो कानून बनने पर भी गोरक्षा न हो सकेगी। अतः गोरक्षा-आन्दोलन के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यक्रम की ओर भी पूरा ध्यान रहना चाहिए :

१. वनस्पति घृत का बहिष्कार करें, क्योंकि इससे गोहत्या को प्रोत्साहन मिलता है।

२. मारकर प्राप्त किये गये चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें।

સમરીતિર્નદાોજા: પરકાશ સનાતન:।
જયતાજ્જાનકીનાથો વેદવેદ્યો મહામતિ:॥

३. सभी लोग यथासंभव गोपालन करें ।

४. प्रतिदिन भोजन से पूर्व गो-ग्रास दें ।

५. गोसंवर्धन और गोरक्षण के कार्यों में तन-मन-धन से सहयोग करें ।

६. अपने ग्राम, कस्बा, नगर की गोशालाओं, गोसदनों एवं पिंजरापोलों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील हों ।

७. अनुपयोगी और आवारा गायों एवं बैलों के लिए गोशालाओं एवं गोसदनों में व्यवस्था करें । उनके गोमय और गोमूत्र का खाद आदि में सम्यक् प्रयोग करें ।

સમીહિતિર્મહાતેજાઃ પરબ્રહ્મ સનાતનઃ।
જગતાજ્ઞાનમોનાથો વેદવેદ્યો મહામતિઃ॥

Scanned by CamScanner